राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर

कोर्स रिपोर्ट

इन्वेस्टिगेशन ऑफ इकोनोमिक ऑफेंसेज

राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर में दिनांक 22.06.2020 से 26.06.2020 तक ''इन्वेस्टिगेशन ऑफ इकोनोमिक ऑफेंसेज'' विषय पर पाँच दिवसीय प्रशिक्षण कोर्स का आयोजन किया गया। इस कोर्स में राजस्थान पुलिस के 11 पुलिस निरीक्षक अधिकारियों ने भाग लिया।

प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रथम दिवस के प्रथम सत्र में श्रीमती सुमन राव पी. ओ. आ.पी.ए. जयपुर ने विशेष आर्थिक अपराधों में अभियोजन पक्ष के लिए विशेष संदर्भ के साथ 406,420,467,468,471,120 बी आई.पी.सी. और महत्वपूर्ण केस कानून को समझाया। द्वितीय सत्र में श्री शेखर सिंह, साइबर एक्सपर्ट एचडीएफसी बैंक, जयपुर ने हाल के ऑनलाइन बैंकिंग अपराध, और उनकी रोकथाम, और जांच को विस्तृत रूप से समझाया। तृतीय सत्र में श्री आर.एस.शर्मा, अतिरिक्त निदेशक (सेवानिवृत्त), राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला, जयपुर ने दस्तावेज़ परीक्षा, विवादित लिखावट, हस्ताक्षर और दस्तावेजों की पहचान के संबंध में व्याख्यान दिया।

द्वितीय दिवस को प्रथम व द्वितीय सत्र में श्री गिरवर सिंह आर टी एस (सेवानिवृत) ने द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट (TPA), पावर ऑफ अटॉर्नी, वसीयत, रिकॉर्ड और संबंधित विवादों से छेड़छाड़ तथा भूमि धोखाधड़ी से संबंधित अपराध की जांच - डबल पट्टा, जाली समझौते आदि विषयों को विस्तारपूर्वक समझाया तथा तृतीय सत्र में श्री सत्यपाल मिढढा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (एस.ओ.जी.), नई दिल्ली ने पोंजी योजनाओं और आर्थिक अपराधों की जांच की विशेषताएं क्या हैं को समझाया।

तृतीय दिवस को प्रथम सत्र में श्री अशोक गुप्ता डीआईजीपी अतिरिक्त आयुक्त (अपराध) आयुक्तालय जयपुर ने आर्थिक अपराधों की केस स्टडी के बारे में विस्तृत जानकारी दी। द्वितीय सत्र में श्रीमती सुमन राव पी. ओ. आ.पी.ए. जयपुर ने जालसाजी के मामलों की जांच और प्राथमिक

और द्वितीय साक्ष्य में क्या मूल्य होता है को समझाया। तृतीय सत्र में श्री पृथ्वीराज अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ए.सी.बी.), जयपुर ने नवीनतम संशोधनों के साथ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 को समझाया।

चतुर्थ दिवस को प्रथम व द्वितीय सत्र में श्री महेन्द्र सिंह कच्छावा एडवोकेट ने वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम,1972 के महत्वपूर्ण प्रावधानों के साथ वन्य जीव प्रजातियों की तस्करी की जांच के संबंध में कानून की जानकारी प्रदान की। तृतीय सत्र में श्री परमेंद्र सिंह पुलिस निरीक्षक आर पी ए जयपुर ने डिजिटल साक्ष्यों का संग्रह करना बताया।

कोर्स के अन्तिम दिवस को प्रथम व द्वितीय सत्र में श्री राजेश दुरेजा पुलिस निरीक्षक, ए.सी.बी., जयुपर ने मोबाइल और कंप्यूटर से आर्थिक अपराध एवं इनकी केस स्टडी की मदद से मामलों की जांच कैसे की जा सकती है को समझाया।

कोर्स के समापन सत्र में श्री कैलाश चन्द्र, उप महानिरीक्षक एवं अतिरिक्त निदेशक, आरपीए, जयपुर ने कोर्स को संबोधित किया व प्रतिभागियो को प्रमाण-पत्र वितरित कर कोर्स का समापन किया।

(रिछपाल सिंह)
कोर्स प्रभारी
पुलिस उप अधीक्षक
राजस्थान पुलिस अकादमी,
जयपुर।